भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1603

(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा कार्यकर्ताओं का विलोपन

1603. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

श्री वी. के. श्रीकंदन:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 10 अक्टूबर और 14 नवंबर के बीच लगभग सत्ताईस लाख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) श्रमिकों को हटाने की पुष्टि करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार आक्रामक ई-केवाईसी प्रवर्तन से मेल खाते हुए बड़े पैमाने पर विलोपन (डिलीट करने) को स्वीकार करती है और यदि नहीं, तो स्पष्ट समय एवं व्यापक श्रमिक बहिष्करण रिपोर्ट के बावजूद सहसंबंध को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जाँच की है कि एक महीने के विलोपन ने पिछले छह महीनों के कुल योग को लगभग दोगुना क्यों कर दिया और यदि हाँ , तो इसके निष्कर्ष क्या हैं तथा यदि नहीं , तो जाँच करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि छह लाख से अधिक हटाए गए व्यक्ति सक्रिय मनरेगा कार्यकर्ता थे और यदि हाँ , तो हटाने का औचित्य क्या है और यदि नहीं , तो सक्रिय लाभार्थियों की पहचान करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार बताएगी कि उच्च ई-केवाईसी पूर्णता दर वाले राज्य अनुपातहीन विलोपन क्यों दिखाते हैं और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो ऐसे रुझान के कारणों का पता न लगने के क्या कारण हैं;

(च) क्या श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एवं मजदूरी के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली आधार आधारित भुगतान प्रणाली ने पहले ही एक अनुमानित, दो करोड़ श्रमिकों को मनरेगा के तहत उनकी कानूनी पात्रता तक पहुँचने से बाहर कर दिया है;

(छ) क्या नवंबर 2025 के मध्य तक शुद्ध परिवर्धन घटकर 66.5 लाख हो गया था जो एक ही महीने में 17 लाख श्रमिकों को प्रभावी ढंग से हटा रहा था; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ड़): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। जॉब कार्ड का अद्यतन/विलोपन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। जॉब कार्ड मुख्य रूप से नकली/जाली/गलत जॉब कार्ड होने, ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित परिवार, शहरी रूप में वर्गीकृत ग्राम पंचायत और जॉब कार्ड में केवल एक सदस्य होने और उसकी मृत्यु हो जाने आदि जैसे कारणों से हटा दिए गए हैं। हालांकि, श्रमिकों/जॉब कार्ड को रद्द/ हटाने के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम के प्रावधानों और मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य या पात्र परिवार का कोई जॉब कार्ड हटाया/रद्द नहीं किया गया है। नरेगासॉफ्ट के अनुसार, 10 अक्टूबर और 14 नवंबर 2025 के बीच कुल 16.31 लाख श्रमिकों को हटा दिया गया था।

जॉब कार्ड हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी, जिसमें जॉब कार्ड को हटाने और बहाल करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश थे। यह एसओपी महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है , पारदर्शिता को बढ़ावा देता है , विलोपन के लिए शर्तों को परिभाषित करके , शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है , और विलोपन/रद्दीकरण से पहले लंबित देनदारियों का निपटान सुनिश्चित करता है।

एसओपी उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है , जिसमें विलोपन के लिए चिह्नित जॉब कार्ड की मसौदा सूचियों का प्रकाशन, ग्राम सभाओं में सत्यापन और प्रभावित श्रमिकों के लिए अपील का अधिकार शामिल है। यह जाली और धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने का भी आदेश देता है। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए जॉब कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है कि वास्तविक लाभार्थियों को बाहर नहीं किया गया है। मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा योजना की शुचिता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि योजना का लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे।

(च): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए एक दिन में श्रमिकों की दो बार स्टैम्पड, भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ दिनांक 1 जनवरी, 2023 से राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार परिवर्तन और बाद में इसे अद्यतन न करने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए , आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि एनएमएमएस के कारणों और आधार या ई-केवाईसी के साथ बैंक खातों को न जोड़ने के कारण जॉब कार्ड को हटाया नहीं जा सकता है।

(छ) और (ज): नरेगासॉफ्ट के अनुसार , वित्त वर्ष 2025-26 (05.12.2025 तक) के दौरान , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कुल 54.02 लाख श्रमिकों को हटा दिया , जबकि इसी अवधि के दौरान 118.57 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया।